P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-7* ISSUE-7* March- 2020
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

श्रमिकों का शोषण (कोयला खान श्रमिकों के विशेष संदर्भ में)

इंदू ठाकुर
सहायक प्राध्यापक
समाजशास्त्र विभाग,
हितकारणी महाविद्यालय,
जबलपुर, मध्य प्रदेश, भारत

दीपमाला तिवारी
शोधार्थी
समाजशास्त्र विभाग,
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,
जबलपुर, मध्य प्रदेश, भारत

आर.एस.त्रिपाठी
प्राध्यापक,
समाजशास्त्र विभाग,
शासकीय महाविद्यालय,
बड़वारा, कटनी, मध्य प्रदेश, भारत

सारांश

भारत में श्रम बाजार विशाल है। अनौपचारिक और असंगठित प्रकृति के उद्यमों और प्रतिष्ठानों में श्रमिक काम करते है।। इनमें स्वरोजगार (Self Employed) इनमें श्रमिक भी शामिल है, जिन्हें निजीकरण और उदारीकरण के दौर में बदला है। श्रम बाजार के परिप्रेक्ष्य नये हैं परन्तु उनके शोषण की स्थिति में बदलाव कमतर हुआ है। कोयला उद्यम में ऐसी परिस्थितियॉ दिखाई पड़ती है जो सामाजिक सुरक्षा, श्रम कानूनों के मौजूदगी के बाद भी जारी हैं। इसके पीछे संविदा और ठेका श्रम का प्रचलन भी है, जब खान दुर्घटनायें होती है, परन्तु ठेका प्रथा के चलते भुगतान की समस्या मजदूर परिवार झेलता है। असंगठित क्षेत्र में भी श्रमिक शोषण की घटनायें होती हैं। स्वास्थ्य और प्रदूषण की समस्यायें कोयला खानों के श्रमिक वर्ग की अधिक गंभीर हैं।

इस शोध पत्र में उमरिया जिला (म.प्र.) के दक्षिण–पूर्वी कोयला प्रक्षेत्र (SECL) में द्वितीय आकड़ों की जानकारी के आधार पर श्रम शोषण की स्थितियों का विश्लेषण किया गया है। कमजोर सामाजिक वर्ग के मजदूर अधिक पीड़ित हैं। स्थानीय कोयला श्रमिक जिले में से लेकर दर्ज किये अपराधिक प्रकरणों में 2000–2010 के आकड़ों के अवलोकन से ज्ञात है कि स्थानीय सामाजिक दशायें इसके लिये उत्तरदायी हैं।

मुख्य शब्द : अनौपचारिक क्षेत्र, असंगठित श्रमिक, कोयला खान नीति–2016।

प्रस्तावना

प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की स्थिति पर प्रकाष डालना है। इस शोध को विवरण मूलक रूप में तैयार किया गया है। शोध आकड़े मध्यप्रदेश के कोयला उत्पादन क्षेत्र उमरिया–जोहिला क्षेत्र में अनौपचारिक तौर पर क्षेत्र कार्य द्वारा प्राप्त किया गया। आंकड़े निर्देशित अनुसूची द्वारा एकत्र किये गये। व्यापक रूप से अनौपचारिक श्रम क्षेत्र की दशा में गतिशीलता कोयला खान मजदूरों के संदर्भ में देखी गयी। प्रस्तुत शोध प्रपत्र उमरिया जिले के श्रमिकों पर केंद्रित है। सन् 2000 से 2010 तक पंजीबद्ध मामले और उनका असर ज्ञात करना, शोषण से पीड़ित व्यक्तियों का आयु समूह, शोषण की अपराधवार स्थिति को जानना, शोषण से अधिकतम पीड़ित श्रमिक जाति वर्ग की पहचान करना।

शोध का पद्धतिशास्त्र गुणात्मक तथा स्तरित दैव निदर्शन से पूरा किया गया एवं संदर्भित किया गया है। वर्तमान श्रमिकों के लिये श्रम नीतियों का प्रावधान है परन्तु इसमें सुधार एवं स्थानीय कोयला खान मजदूरों के हित में संरक्षात्मक उपायों को बढ़ाने की आवश्यकता है।

कोयला खान श्रमिक आज भी स्वास्थ्य एवं वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं, जबकि श्रम के अन्य क्षेत्रों की तुलना में सामाजिक सुरक्षा के प्रावधान बढ़ाये गये हैं। श्रम की ठेका पद्धति ने शोषण को बढ़ाया है। चुने गये क्षेत्र में श्रमिकों के शोषण और अमानवीय व्यवहारों के आकड़ों को दिया गया है, जिससे पता चलता है कि शोषण का समापन कितना आवष्यक है।

श्रमिक एक विशुद्ध सामाजिक वैयक्तिक अवधारणा है, जिसका प्रयोग सामाजिक रूप से जो व्यक्ति उपेक्षा, शोषण और उत्पीड़न का शिकार हुआ है। श्रमिक शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिये किया जा रहा है जिन्हें अमानवीय व्यवहार, अन्याय, भेदभाव, सामाजिक निर्योग्यताओं, सामाजिक प्रताड़ना, राजनीतिक एवं आर्थिक वंचनाओं और असुविधाओं के लम्बें दौर से गुजरना पड़ा है। श्रमिक शब्द को परिभाषित करते हुये कहा कि जिनकी आजीविका शारीरिक श्रम पर आश्रित होती है। खासतौर पर जिन्हें घंटों के आधार पर मजदूरी दी जाती है, ऐसे वर्ग को श्रमिक की श्रेणी में रखा गया है। शैक्षिक वार्तालाप में इस वर्ग का प्रयोग विवादास्पद रहा है। विषेष रूप से असंगठित क्षेत्रों में। समाज का

एक वर्ग जहॉ अपने जीवन रक्षा की तुलना में जीवन शैली पर ज्यादा खर्च करती है (उदाहरण–फैषन बनाम सिर्फ आवास एवं पोषण) समस्या यह है कि इस पद्धति पर निर्भर रहने से वैसे बहुत सारे लोग बाहर हो जाते है, जो श्रमिक के रूप में पहचाने जाते हैं। बहुत समय से विषेष चिन्हित वर्गों के प्रति की गयी सुनियोजित टिंसा समाज का विशिष्ट लक्षण रहा है। हिंसा के निषाने पर बहुधा वही श्रमिक होते हैं जो सामाजिक व्यवस्था के सोपान में सबसे निचले क्रम में आते हैं।

प्रस्तुत आलेख के अन्तर्गत यह प्रदर्षित करने का प्रयास किया गया है कि श्रमिकों का शोषण हमारे समाज से पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ है अपितु यह नगरीय क्षेत्र में भी आंषिक रूप में है, लेकिन ग्रामीण समाज में इसकी बहुधा अभी भी व्याप्त है।

हमारे भारतीय संविधान में श्रमिकों को विशेषाधिकार प्राप्त है। आरक्षण प्राप्त है, किन्तु हमारे समाज में आज भी श्रमिक वर्ग उपेक्षा की मार झेल रहा है। इनकी सामाजिक निर्योग्यताओं एवं आर्थिक पिछड़ेपन दूर करने तथा इन्हें विशेष सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक सुरक्षा प्रदान की गयी है। गरीबी, गंदगी, बीमारी और अषिक्षा का शिकार ये वर्ग समाज से बहिष्कृत और नागरिक अधिकारों से वंचित रहा है। आज भी गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों में श्रमिकों का अनुपात देष की सम्पूर्ण जनसंख्या में इनके अनुपात से कहीं अधिक है। इनमें आधे से अधिक श्रमिक भूमिहीन अथवा छोटे व सीमांत श्रमिक हैं। जो अपनी आजीविका के लिए कृषि एवं मजदूरी पर निर्भर करते हैं। अभी हाल तक इनमें अधिकांशतः (ग्रामीण क्षेत्रों में) अपने भू–स्वामी के यहॉ पूर्णतः या अंषतः बंधुआ मजदूर थे। ये खाल निकालने एवं चमड़े का काम, नाली एवं गलियों की सफाई जैसे काम करते हैं। इस तरह का काम करने वाले श्रमिक आज भी समाज में उपेक्षा, शोषण और अभावग्रस्तता की मार झेल रहे हैं।

शोषण

शोषण से आषय उन सभी प्रकार के उत्पीड़न से है, जो समाज के उच्च एवं सम्पन्न वर्गों से अपनी रक्षा कर पाने में असमर्थ हैं। सामान्यतः शोषण की श्रेणी में हत्या, बलात्कार, आगजनी, शोषण एवं हिंसा सम्बंधी अधिक गंभीर किस्म के अपराध शामिल किये जाते हैं, जिसमें पीड़ित को गंभीर किस्म की शारीरिक क्षति एवं हानि उठानी पड़ती है। कभी–कभी तो ये इतने शोषित होते हैं कि इनकी मौत भी हो जाती है। शोषण निवारण अधिनियम (1989) के तहत शोषण के अन्तर्गत श्रमिक वर्ग के विरूद्ध उच्च एवं सम्पन्न वर्गों द्वारा अस्पृष्यता के भेदभाव सहित किये गये 27 प्रकार के अपराधों को सम्मिलित किया गया है। मोटे तौर पर श्रमिक वर्ग के विरूद्ध उच्च वर्ग द्वारा किये गये वे सभी अपराध हैं जो जिला श्रम कल्याण प्रकोष्ठ में भारतीय दण्ड विधान संहिता, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम (1955) तथा शोषण निवारण अधिनियम (1989) के अन्तर्गत पंजीबद्ध किये गये हैं। वे सभी शोषण की श्रेणी में आते हैं।

श्रम बाजार : ढाँचागत विसंगतियाँ –

भारत संभवतः दुनिया का सबसे बड़ा श्रम बाजार है, जहॉ असंगठित क्षेत्र में 90% तक श्रम बल की जमावट है। कोयला खान मजदूर भी इसी में आते हैं। गैर कृषि बाजार औद्योगीकरण के उपनिवेशवादी तरीके से प्रभावित हुआ है। भारतीय उद्यम वर्ग भी सामाजिक संरचना से निकलकर आता है। वे लोहे, इस्पात, कपड़ा, सीमेन्ट, न्यूज प्रिंट जैसे बड़े उद्यमों में टाटा, बिरला और अब अम्बानी औद्योगिक कारपोरेट घराने हैं। इसके बावजूद भी असंगठित प्रकार की श्रम गतिशीलता बनी रही है जो औद्योगिक नीतियों के नये प्रावधानों के बावजूद सामाजिक आधार को लेकर आगे बढ़ी हैं कि कौन किस सामाजिक वर्ग, जाति का मजदूरी करने के लिये औद्योगिक कारखानों में प्रवास करेगा जाहिर है। कोयला खानों से लेकर सूरत कपड़ा मिलों में काम करने वाले प्रवासी श्रमिक का परिचय मिल जाता है। आज भी असंगठित श्रम बाजार बढ़ रहा है क्योंकि बेरोजगारी के लिये आकस्मिक ठेके वाले कामों में श्रम को खपाना मॉग के हिसाब से चलता रहता है।

अनगिनत निजी उद्यम जिनके मालिक सेवाओं माल की बिक्री और उत्पादन में लगे परिवार होते हैं जो घरों में काम करते हैं। इन्हें सुरक्षा के सामाजिक प्रावधानों से अलग मानते हैं तथा श्रमिक दस से कम व्यक्ति गिने जाते हैं। इसकी प्रवृत्ति स्वरोजगार (Self Employed) की होती है।

2004–05 में श्रम बाजार

	संगठित	असंगठित	कुल
औपचारिक क्षेत्र (संख्या)	32.06	1.35	33.41
हिस्सा	52	0.3	7.3
अनौपचारिक क्षेत्र (संख्या)	29.54	396.66	426.2
हिस्सा	48	99.7	92.7
कुल क्षेत्र (संख्या)	61.61	398.01	459.62
हिस्सा	13	87	100

वर्ष 2011–12 ने आकड़ों को भी देखा जा सकता है जो कोयला खान श्रमिकों में श्रम दशाओं के परिवर्तन विषेषकर अनौपचारिक श्रम की स्थिति को अप्रत्यक्षतः ठेकेदारी प्रथा को सूचित करते हैं।

रोजगार की श्रम बाजार की स्थिति

	औपचारिक		अनौपचारिक		अनौपचारिक	
	संख्या	हिस्सा	संख्या	हिस्सा	संख्या	हिस्सा
संगठित	37.18	45.4	44.74	56.6	81.92	17.3
असंगठित	1.39	0.4	390.92	99.6	392.3	82.7
कुल	**38.56**	**8.1**	**433.66**	**91.9**	**474.2**	**100**

स्रोत : श्रीरंग झा, भारत में श्रम सुधार, योजना अप्रैल–2017

नवीन दषकीय प्रवृत्ति यह है कि उद्यमों की तालाबंदी, छंटनी, कारपोरेट तरीके से चलाना, विदेषी प्रत्यक्ष निवेष और कोयला उद्योग का निजीकरण ने ठेका श्रम से स्थायी रोजगार लगभग छिनता जा रहा है। आज न्यूनतम रूप में श्रम की खपत का उद्देष्य है। ऐसी तकनीक निकालो जिससे श्रम पर निर्भरता कम होती जाये। कोयला उद्योग से लेकर भारी मषीन उद्यमों में एक सामान्य प्रवृत्ति श्रमिकों की छंटनी या संविदा पर श्रमिकों को आकस्मिक काम देने की हो गयी है। व्यापक श्रमिक साधनों की कमी होना स्वाभाविक है और कम या अकुषल श्रम निर्माण क्षेत्र में खपत हो रही है। भारत का श्रम बाजार अधिक बड़ा है तथा मॉग की तुलना में पूर्ति कई गुना अधिक है। यह श्रम बल के सामने संविदा और ठेके पर मजदूरी का विकल्प देता है।

आकड़े बताते हैं कि संविदा कामगारों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। 2000–01 में 15ण्6ः कर्मचारी अनुबंध पर थे। 2015–16 में इनकी संख्या बढ़कर 27.9% हो गयी (करंट अफेयर, 2019)। देष में सामाजिक सुरक्षा से 8% तक नियमित कर्मचारी दायरे में रह गये है। इस प्रवृत्ति का नुकसान है। दोयम दर्जे का व्यवहार ठेकेदारों द्वारा श्रम शोषण, ट्रेड यूनियन की कमजोर स्थिति और संविदा श्रमिकों की आर्थिक निष्चितता खत्म हो जाती है। यद्यपि संविदा श्रम नियम 1970 लागू है, परन्तु इसका पालन नहीं होता। कोयला उद्योग में श्रमिक संगठन है जिन्होंने केन्द्र सरकार के निर्णय का कड़ा विरोध किया है जिससे 100% विदेषी प्रत्यक्ष निवेष (FDI) होना है। निजीकरण असंगठित कोयला मजदूरों के लिये फायदेमंद नहीं होगा (पत्रिका : अगस्त 29, 2019)।

कोयला खानों के श्रमिक शोषण के दूसरे आयामों से देखे जो सकते हैं। यदि अन्य असंगठित क्षेत्रों से वेतन, कार्य और सुरक्षा अधिक है, परन्तु इसमें प्रवासियों की समस्याएं रहती है। कई कानूनी प्रावधान किये गये हैं जैसे ठेका श्रमिक अधिनियम बोनस भुगतान अधिनियम–2016 (संषोधित) मजदूर विधेयक पर श्रम संहिता–2015, औद्योगिक सम्बंध विधेयक–2015 पर श्रम संहिता को सामने लाया गया है। शहरीकरण का दबाव कोयला खानों के निकट मौजूद है, परन्तु 80% शहरों में मजदूर दिहाड़ी या डेलीवेज लेबर है। कामकाज के स्त्रोत और क्षेत्र में बदलाव होता रहा है, इसलिए कहा जाता है कि श्रमिक को श्रमिक की सही परिभाषा में नहीं लाया जाता है। यह असुरक्षित श्रमिकों की मौजूदगी का ढॉचा रोजगार अवसरों की कमी के कारण है। असंगठित क्षेत्र में रोजगार अवसरों की बढ़ोत्तरी पूर्ति से पीछे रहती है। श्रमिकों के शोषण की संभावनाओं को देखते हुये यह कहा जा सकता है कि विकास का पैटर्न सेवा क्षेत्र के विस्तार पर केन्द्रित है, जहॉ प्रधानता स्वरोजगार पर असंगठित रोजगार के माहौल तैयार हुआ है, जो समकालीन भारतीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था का अहम बिन्दु है (प्रवीण झा, अप्रैल–2017, योजना)। छोटी उत्पादन इकाईयों को लें तो श्रम सघन होने की सीमा है। 10 से अधिक श्रमिक इकाईयॉ मजदूरों की खपत कम कर पाती हैं। खनन क्षेत्र बड़ा है और मजदूर भी अधिक लगे होते हैं, परन्तु महिलाओं के लिए यहॉ अवसर कार्य दशाओं के कारण सीमित रहते हैं। खेती में महिला श्रमिक टिकने की मजबूरी है। निर्माण क्षेत्र में 6% रोजगार में भी सेवा क्षेत्र से 18% तक थी, 13% उत्पादन में और 62% खेती (2011–12) में लगी थी। सरकारें मनरेगा योजना में महिलाओं को रोजगार देने की प्रसंषात्मक उपलब्धि गिनाती है। इसी तरह बाल मजदूरों को कोयला खानों में भी मजदूरी करने या स्वरोजगार में पाया जाता है, जो चिंताजनक है। यहॉ से बाल श्रमिकों का पुर्नवास किया जाना चाहिये।

केशव प्रसाद शुक्ला (1995)– नए कोयला उद्योग में कार्यरत श्रमिकों की मजदूरी रोजगार व जीवन स्तर की स्थिति का अध्ययन कर बताया कि कोयला उद्योग में कार्यरत श्रमिकों की आर्थिक व सामाजिक स्थिति पिछड़ी हुई है। इन उद्योगों में श्रमिकों से जोखिम पूर्ण कार्य लिया जाता है किंतु उन्हें पर्याप्त मजदूरी नहीं दी जाती है। इस उद्योग में गरीब, ग्रामीण व बेरोजगार लोगों द्वारा ही काम किया जाता है। कोयला उत्पादन में लगे श्रमिकों के कार्य के घंटे की कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। उद्योग में कार्यरत श्रमिकों के लिए शिक्षा, आवास, चिकित्सा, मनोरंजन आदि विशेष सुविधा पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं है तथा ये श्रमिक शिक्षा के अभाव में अपना पूर्ण विकास नहीं कर पा रहे हैं, अतः कोयला उद्योग में कार्यरत श्रमिकों का विशेष सामाजिक योजना व कल्याणकारी योजना के द्वारा श्रमिकों को जागरूक करना आवश्यक है ताकि वे आर्थिक–सामाजिक जीवन स्तर को सुधार सकें।

हेमंत कुमार साहू (1999) – ने सीमेंट उद्योग में श्रमिकों को मिल रहे संरक्षणात्मक श्रम अधिनियम की प्रभावशीलता अध्ययन में, श्रमिकों की सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि का अध्ययन किया। 69.93% समय एकांकी व 35.07% परिवार संयुक्त रूप से निवास करते हैं। 90% श्रमिकों की आय 3,000 प्रतिमाह से कम है। सीमेंट उद्योग में संरक्षणात्मक सामाजिक सुरक्षा एवं नियंत्रण अधिनियम के अनुसार श्रमिकों को सुविधाएं प्रदान नहीं हो रही हैं। श्रमिकों की विभिन्न सुविधाओं के संदर्भ में श्रमिक वर्ग का दृष्टिकोण है कि उद्योग में नियोक्ता द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाएं अपर्याप्त हैं। अतः श्रमिकों को

संरक्षात्मक श्रम अधिनियम के प्रावधान के अनुसार सुविधा नहीं मिल रही है।

केशव मणि शर्मा (2001) – शोध उद्योग में श्रम समस्या एवं श्रम कल्याण का अध्ययन कर उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों की समस्या जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, अधिक कार्य के घंटे, कम मजदूरी आदि को प्रस्तुत कर उनकी समस्याओं के निवारण हेतु कल्याण के लिए विभिन्न सुझाव जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन कार्य के घंटे की निश्चित का उचित मजदूरी तथा श्रमिकों में जागरूकता का विकास की अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा योजना की स्थापना कर कठोरता से उनका पालन करवाना आदि है।

मनोज कुमार वानखेडे (2002) – ने इंदौर नगर निगम की दाल मिलों में कार्यरत महिला श्रमिकों पर कार्य की दशाओं का प्रभाव का अध्ययन कर उन्होंने बताया कि भारत में महिलाएं उद्योगों का स्थाई अंग मानी जाती है। महिलाएं दाल मिलों में कार्य करती है। यहॉ महिलाएं जिन परिस्थितियों में कार्य करती हैं। उसका उनके स्वास्थ्य के स्तर, कार्यकुशलता, मनोवृत्ति, परिवार एवं सामाजिक परिवेश पर विशेष प्रभाव पड़ता है। कष्टप्रद व स्वस्थ वातावरण में काम करने से महिलाओं की मानसिक व शारीरिक क्षमता कमजोर होती है।

सुनील गोयल एवं कपिल देव प्रजापति (2003) – ने ठेका श्रमिकों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का अध्ययन कर बताया कि ठेका श्रमिकों की स्थिति दयनीय होती है। अधिकांश ठेका श्रमिक सीमेंट उद्योग, कागज उद्योग, चटाई बनाना, सूती वस्त्र उद्योग, भवन निर्माण आदि कार्यों में लगे होते हैं किंतु इन श्रमिकों को कम मजदूरी, काम के अधिक घंटे ठेकेदार का इनके प्रति उत्तरदाई ना होना आदि समस्याओं से ग्रसित है। अधिकांश ठेका श्रमिक अपने वेतन से असंतुष्ट है वर्तमान में अनुमानित 500 से 800 रू. के बीच में ठेका श्रमिक मंडल कार्य कर रहे हैं, इन्हें ओवरटाइम भुगतान की सुविधा भी पर्याप्त रूप से प्राप्त नहीं होती है। ठेकेदार द्वारा मनमाने ढंग से अनिश्चित कार्य के घंटों में काम लिया जाता है। इनकी प्रमुख समस्या प्रवास की है जिससे आवासी गांव से अन्य स्थानों में जाना पड़ता है।

अतः शासन द्वारा इन्हें शैक्षणिक रूप से जागरूक व कार्य के दौरान पर्याप्त चिकित्सा सुविधा, निर्धारित कार्य के घंटे, सुरक्षा के उपकरण, कैंटीन व बीमारी, विवाह हेतु लोन आदि सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए।

विजय ग्रेवाल (2003) – ने अपने प्रस्तुत शोध श्रम कल्याण योजना एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का अध्ययन में शासन द्वारा संचालित योजनाओं से है, जो कि श्रमिकों के कल्याण के लिए बनाई जाती है। आपके अनुसार उद्योगों व अन्य कार्य में लगे श्रमिकों की आर्थिक–सामाजिक स्थिति के स्तर को उचित बनाए रखने तथा श्रमिकों में जागरूकता उत्पन्न कर उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने व सामाजिक सुरक्षा योजना का क्रियान्वयन करना आवश्यक है तथा इन योजनाओं का दृढ़ता से पालन करना आवश्यक है, तभी यह योजनाएं सफल मानी जा सकती है । अतः श्रम कल्याण हेतु मध्यप्रदेश राज्य शासन के श्रम कल्याण मंडल एवं श्रम आयुक्त को इस दिशा में विशेष प्रबल प्रयास करते रहना चाहिए ताकि श्रमिकों की स्थिति में और अधिक सुधार हो सके।

कृष्ण कुमार शर्मा एवं श्रीमती एस तिजारे (2003) – में कोयला श्रमिकों की मजदूरी व जीवन स्तर की स्थिति का अध्ययन किया गया जिसके आधार पर उन्होंने श्रमिकों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास पर जोर दिया है। कोयला क्षेत्रों में मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, दुग्ध शाला आदि की उत्पादन व्यवस्था को भी प्रोत्साहित किया जाए। इससे खानपान एवं स्वास्थ्य में सुधार होगा। वहीं दूसरी ओर श्रमिक परिवारों के आश्रितों को रोजगार एवं परिवार की आय में वृद्धि होगी जिससे उपभोग स्तर में वृद्धि संभव है। बचत एवं निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए उस क्षेत्र में बीमा एवं बैंकिंग संस्थानों का पर्याप्त विकास किया जाना चाहिए, जिससे उचित ब्याज दर पर ऋण की सुविधा उपलब्ध हो सके। श्रमिकों की संतुष्टि का आय से सीधा संबंध होता है, अतः प्रबंधकों को श्रमिकों की समस्याओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और दोनों को अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करना होगा कि हम एक दूसरे के विरोधी नहीं वरन सहयोगी हैं।

वी. के. त्रिवेदी (श्रमविधान पत्रिका अप्रैल, 2006) – ने अपने लेख भारत में श्रमिक कल्याण के कार्यकलापों का वर्णन किया है जिसमें बताया गया कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अभाव में श्रमिकों का कल्याण संभव नहीं है। योजना के अभाव में श्रमिक अपना आर्थिक व सामाजिक जीवन ऊंचा नहीं उठा सकते तथा उनकी स्थिति सुधारने की अपेक्षा और अधिक खराब या पिछड़ी हो सकती है। अतः श्रमिकों का पूर्ण विकास सामाजिक सुरक्षा योजना के द्वारा संभव है। इस दिशा में शासन ने अनेक श्रम अधिनियम पारित किए हैं। श्री त्रिवेदी के अनुसार भारतीय श्रम कानून में कारखाना अधिनियम 1948 मील का पत्थर साबित हुआ है, क्योंकि इस अधिनियम में श्रमिकों के कल्याण हेतु अनेक प्रावधान शामिल किए गए थे।

एम.एम. रहमान एवं शशि तोमर (2007) – ने अध्ययन में डोलोमाइट उद्योग में कार्यरत श्रमिकों की कल्याणकारी योजनाओं व भारत के उन सभी राज्यों में डोलोमाइट पत्थर के उत्पादन की स्थिति का विवरण दिया, जहां–जहां यह पत्थर पाया जाता है। इस उद्योग में कार्यरत श्रमिकों की रोजगार स्थिति, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन के साधन, आवास, मजदूरी, श्रमिकों की आय व कार्य के घंटे, कार्य अवधि आदि को विशेष रूप से प्रस्तुत किया गया तथा सभी राज्यों में डोलोमाइट पत्थर की खदानों व कारखानों का भी क्षेत्र के आधार पर विवरण किया गया है।

शोषण की प्रकृति बाध्यता मूलक होती है चाहे उसका स्वरूप भेदभाव जनित हो, शोषण मूलक हो अथवा उत्पीड़नात्मक। इसमें दबे या खुले रूप में शक्ति का प्रयोग किया जाता है। अत्याचारी वर्ग की समाज में स्थिति बहुत अच्छी होती है क्योंकि वे आर्थिक रूप से सक्षम होते हैं। सामान्यतः शोषण शक्तिशाली वर्ग द्वारा अपने हितों पर चोट पहुंचाने वालों को दबाने के लिए किए जाते हैं, दबाव

की मात्रा, प्रकृति एवं स्वरूप में समय, स्थान एवं संदर्भ (अत्याचार व पीड़ित व्यक्ति अथवा समूहों की संख्या, शक्ति तथा स्थानीय पुलिस एवं प्रशासन की तत्परता व कार्य क्षमता) के अनुसार भिन्नता हो सकती है। इस प्रकार शोषण में उच्च शक्ति संपन्न वर्गों द्वारा समाज के आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से कमजोर वर्गों जो अपनी सुरक्षा करने में अशक्त होते हैं विरुद्ध किए गए अपराधों को शामिल किया जाता है। श्रमिकों का शोषण की सूची बहुत लंबी है और शोषण के स्वरूप अनेक है। विस्तृत अर्थ में शोषण से यहां आशय सभी प्रकार के अन्याय, अत्याचार, पीड़ा एवं त्रास से है जो समाज में कमजोर वर्गों को अपनी रक्षा करने में असमर्थ होते हैं पर ठगे जाते हैं। इनमें निंदा, गाली, धमकी तथा सामाजिक बहिष्कार से भूमि पर कब्जा ना देना, शारीरिक क्षति पहुंचाना, मरना आदि शामिल है। किन्तु विश्लेषण में सहूलियत की दृष्टि से सरकारी अभिलेखों में श्रमिकों के विरुद्ध साधारण प्रकृति के अपराधों को अस्पृश्यता व अन्य अपराधों की श्रेणी में रखा जाता है। शोषण की श्रेणी में केवल हत्या, बलात्कार, आगजनी, शोषण देना तथा हिंसा जैसे गंभीर अपराध को ही शामिल किया गया है।

सिद्दीकी आफताब (2006) ने अपने लघु शोध अध्ययन के दौरान पाया कि असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की स्थिति में उपयुक्त सुधार नहीं हो पाया है। संवैधानिक सुधारों के उपरांत और अधिक शोषण में वृद्धि हुई है जिसका कारण परंपरावादी पुरानी विचारधारा प्रमुख है तथा शोषण से श्रमिक वर्ग की समाज में अत्यंत निम्न एवं दयनीय ही स्थिति है।

"श्रमिकों का अपराधिक उत्पीड़न" इन्होंने अपने अध्ययन में पाया कि अपराध एवं शोषण से पीड़ित व्यक्ति पूर्ण वर्ग वाले हैं वरिष्ठ तथा पूर्ण जॉब की परंपरागत व्यवस्था को नहीं मानते चाहते हैं वही अधिक उत्पीड़न का शिकार होते हैं। इन्होंने अपने लघु शोध के अध्ययन में यह पाया कि सबसे अधिक शोषित एवं पीड़ित व्यक्ति निचले वर्ग की जाति के थे।

अध्ययन क्षेत्र

प्रस्तुत शोध पत्र द्वितीयक तथ्यों पर आधारित है, जिसमें उमरिया जिले के श्रम कल्याण प्रकोष्ठ में पंजीबद्ध 11 वर्षीय (2000 से 2010) तक के आंकड़ों को सम्मिलित किया गया है।

उमरिया शहडोल के विभाजन उपरांत नया जिला मध्यप्रदेश राज्य में बनाया गया, 1998 के नवम्बर में। यह बॉधवगढ़ टाइगर प्रोजेक्ट और विष्णु भगवान की शेष शैईया के लिये विख्यात है। मध्यप्रदेष राज्य के उत्तर–पूर्वी हिस्से में कटनी, शहडोल, रीवा, डिण्डौरी जिले की सीमायें छूती हैं, जिसका भौगोलिक क्षेत्रफल 4548 वर्ग किलोमीटर है। जिले में 2011 की जनगणनानुसार 6,44,758 की आबादी थी। 42% भूभाग पर जंगल है, जहॉ 8 कोयला खदानें हैं जो निकवर्ती थर्मल पॉवर बिरसिंहपुर पाली तक को बिजली उत्पादन हेतु कोयला आपूर्ति करती हैं। उमरिया ऐतिहासिक क्षेत्र है, जहॉ प्राचीन बॉधवगढ़ का किला स्थित है। बिरसिंहपुर पाली धार्मिक केन्द्र है, जहॉ विरासनी देवी विराजमान हैं। यहॉ हिन्दु देवी–देवताओं के अलावा जैन धर्म की मूर्तियॉ मिलती हैं।

उमरिया जिले में कोयला खनन का इतिहास पुराना है। 1881 में कोयला को निकालने का काम शुरू किया गया। बॉधवगढ़ को रीवा रियासत का आखेटगाह के रूप में विख्यात था जहॉ सफेद शेर पाया गया था। जंगल, कोयला खान तथा अन्य खनिज से उमरिया जिला समृद्ध है। यहॉ प्रचूर मात्रा में खनिज संसाधन मौजूद हैं। जिले में पष्चिम से पूर्व की ओर दक्षिण पूर्व रेल्वे लाइन कटनी से बिलासपुर की ओर निकलती है। जिले में सोन, जोहिला और छोटी महानदी का पहाड़ी रास्ते से जल प्रवाह बना रहता है। उमरिया जिले में उमरिया मध्य भारत क्षेत्र के सोहागपुर, कोरार, जोहिला नदी के साथ कोयला भण्डारण क्षेत्र है। खुली खदानों से ही अधिक कोयला निकलता है। कोयला खदानों के विस्तार से जमीनों का अधिग्रहण और पुर्नवास के कार्य होते हैं। उमरिया जिले में पिपरिया कोल माइन्स मुख्य स्त्रोत है। यहॉ 8 भूमिगत खदानें और एक खुली खदान चल रही है। इनमें 5 हजार कोयला मजदूर एवं कर्मचारी कार्यरत हैं। इनके परिवार कोल माइन्स के क्षेत्र में आवास बनाकर और कोयला आवासीय परिसर में रहते हैं।

सारणी क्र.01

सन 2000 से 2010 तक 620 मामले पंजीबद्ध हुए, जिसमें 100 (16.13%) व्यक्ति दोषी पाए गए। 203 (32.74%) व्यक्ति बरी हुए। 33 (5.32%) ने राजीनामा किया तथा 284 (45.80%) मामले विचाराधीन है, जिनके निर्णय अभी नहीं आए हैं। अतः सारणी में यह ज्ञात होता है कि 620 (16.13%) मामलों में व्यक्तियों का दोषी पाया जाना तथा 284 (45.80%) मामलों का विचाराधीन होना न्याय प्रणाली की शिथिलता को प्रदर्शित करता है।

सारणी क्र.02

इससे स्पष्ट है कि दलित श्रमिकों पर होने वाले शोषण से 18 वर्ष से लेकर 60 से भी अधिक आयु के स्त्री–पुरुष श्रमिक पीड़ित हुए हैं, जिसमें आयु समूह 24 से 30 वर्ष की आयु वाले सभी स्त्री–पुरुष श्रमिकों की संख्या अधिक पीड़ित पाई गई है जो 24.193% है। सारणी में दिए गए आंकड़ों के अनुसार 24 से 30 वर्ष तक की आयु समूह के श्रमिक (स्त्री–पुरुष) शोषण का शिकार अधिक हुए है जिनका संयुक्त योग 272 (47.75%) है।

सारणी क्र.03

सन् 2000 से 2010 तक पीड़ितों द्वारा पंजीबद्ध कराए गए 620 मामलों में 38 (6.12%) हत्या, 44 (7.08%) हत्या के प्रयास, 296 (45.75%) मारपीट, चोट, आगजनी आदि से संबंधित है तथा 15 (2.41%) बलात्कार और 11 (1.77%) अपहरण के मामले पंजीबद्ध हुए। सारणी में प्रदर्शित श्रमिक महिलाओं के साथ बलात्कार, शीलभंग, अपहरण की संख्या को जोड़ा जाए तो यह (105+111+11) 227 होती है जो कि महिलाओं के प्रति हिंसा एवं अत्याचारों की गंभीरता को दिखाती है।

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-7* ISSUE-7* March- 2020
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

तथ्यों का विश्लेषण

1. कुछ पंजीबद्ध मामलों की तुलना में दोषी सिद्ध पाए गए मामलों का प्रतिशत 16.13% है जो बहुत ही कम है।
2. शोषण से पीड़ित श्रमिकों का आयु वर्ग समूह 24 से 30 के मध्य देखा गया है।
3. गंभीर आरोप की तुलना में साधारण प्रकृति के अपराधों की संख्या अधिक पाई गई।
4. शोषण से सबसे अधिक पीड़ित जाति के व्यक्तियों ने "चमार" जाति के लोग हैं।

सारणी क्र.–01

पीड़ित श्रमिकों द्वारा पंजीबद्ध कराये गये मामलों में निर्णय (उमरिया जिले से सम्बंधित)

क्र.	सन्	दर्ज मामलों की संख्या	दोष सिद्ध	बरी	राजीनामा	विचाराधीन
1	2000	71	1	11	1	58
2	2001	50	7	7	2	34
3	2002	68	10	8	2	48
4	2003	46	7	5	2	32
5	2004	58	6	14	7	31
6	2005	46	7	27	2	10
7	2006	56	13	30	-	13
8	2007	57	13	30	5	9
9	2008	47	10	23	4	10
10	2009	52	18	21	3	10
11	2010	69	8	27	5	29
कुल		**620**	**100**	**203**	**33**	**284**
प्रतिशत		**100%**	**16.13%**	**32.74%**	**5.32%**	**45.80%**

स्रोत : उमरिया जिला श्रम कल्याण प्रकोष्ठ से प्राप्त रिपोर्ट।

सारणी क्र.–02

शोषण से पीड़ित श्रमिकों का आयु समूह

क्र.	सन्	18-24	24-30	30-36	36-42	42-48	48-54	54-60	कुल
1	2000	10	24	12	5	5	2	1	71
2	2001	8	15	10	7	1	2	1	50
3	2002	12	19	10	4	6	3	1	68
4	2003	10	8	10	1	2	2	1	48
5	2004	14	14	8	1	5	-	3	58
6	2005	13	7	5	4	4	1	1	46
7	2006	9	12	3	5	1	1	-	56
8	2007	11	13	11	10	-	1	-	57
9	2008	12	12	5	6	1	1	-	47
10	2009	13	14	4	4	3	2	-	52
11	2010	10	12	12	10	7	3	-	67
कुल		**122**	**150**	**90**	**57**	**35**	**18**	**8**	**620**
प्रतिशत		**19.67%**	**24.19%**	**14.51%**	**9.19%**	**5.00%**	**2.90%**	**45.80%**	**100.00%**

सारणी क्र.–03

शोषण की अपराधवार स्थिति (उमरिया जिले से सम्बंधित)

क्र.	सन्	हत्या	हत्या का प्रयास	मारपीट, चोट, आगजनी, जातिगत अपमान अन्य	बलवा	बलात्कार	शीलभंग	अपहरण	कुल
1	2000	5	2	41	2	10	11	-	71
2	2001	3	1	37	-	6	3	-	50
3	2002	4	5	40	-	9	9	1	68
4	2003	3	4	20	-	9	9	1	46
5	2004	5	3	26	1	11	10	2	58
6	2005	2	4	20	1	8	10	1	46
7	2006	1	4	21	3	12	13	2	56
8	2007	3	5	29	2	5	12	1	57
9	2008	2	4	19	3	10	9	-	47
10	2009	7	6	16	1	11	10	1	52
11	2010	3	6	27	2	14	15	2	69
कुल		**38**	**44**	**296**	**15**	**105**	**111**	**11**	**620**
प्रतिशत		**6.12%**	**7.08%**	**47.75%**	**2.41%**	**16.94%**	**17.90%**	**45.80%**	**100.00%**

श्रमिकों के लिए खतरे : कोल माफिया और संगठित अपराध

कोयला खाने अपराध की जन्म स्थली कही जा सकती हैं। "काला सोना" से अपराध पनपता है। कोयला माफिया और बाहुबली का नाम प्रसिद्ध है। गैंगवार की घटनायें कोयलांचल में होती हैं, जो आज भी झरिया, धनबाद में कुख्यात अपराधियों द्वारा की जाती हैं। उन्हें पूर्ण रूप से राजनैतिक संरक्षण मिलता है। भ्रष्टाचार, हत्यायें, परस्पर हथियारबंद गिरोहों का संचालन कोयला खान क्षेत्र में होता रहता है जो कोयला श्रमिकों की जान माल पर गंभीर खतरा है। सरकारी आदेशानुसार कोयला सरकारी सम्पत्ति है जिसकी चोरी कोयला खानों से करवाई जाती है। इसमें संगठित गिरोह काम करते है। कोयला खान में काम करने वाले मजदूरों का जीवन खान के बाहर अपराधियों के हाथों में सुरक्षित नहीं है। मेघालय राज्य की कोयला खानों में अपराधियों के द्वारा दहशत की खबरें आती हैं जैसे झरिया, धनबाद के संगठित अपराधी जबरदस्ती से कोयला का दो नम्बर का धंधा संचालित करते आये हैं। इन कोयलांचलों में जबरदस्ती जमीनों पर कब्जा, पेयजल पर कब्जा और बेघर कर देने की कीमत मजदूरों को चुकानी पड़ती हैं।

कोयला अपराध जगत का इतिहास पुराना है। वर्तमान में राजनीति में भी सभी रसूख लेकर चलते आयें हैं। उदाहरण के लिए धनबाद कोयलांचल में 800 करोड़ रूपये का कारोबार कोयला माफिया के हाथों से चलता है (इण्डिया टुडे की रिपोर्ट) इनमें गैंगवार होता है। कोयला उद्योग में माफिया राज की दूसरी छवि मजदूरों के मसीहा बनने की है (न्यूज प्लेटफार्म, दिसंबर 21, 2018)। इसमें रंगदारी वसूलना भी शामिल है।

श्रमिकों का शोषण रंगदार और माफिया कम मजदूरी में काम कराने की विवषता से होता है। कोयला लोडिंग का काम करने वाले कोयला मजदूर दोनों तरफ से इसके शिकार हैं। कम मजदूरी और जबरन काम करने का दबाव जो कोयला माफिया करवाता है। कोयले के अवैध उत्खनन से मजदूरों की पीड़ा बढ़ी है (पत्रिका : संजय दण्डाले की रिपोर्ट)। परासिया कोयला क्षेत्र में भी इस प्रकार की घटनायें सामने आयी हैं (मई 7, 2018 रिपोर्ट)। कोयला खानों के क्षेत्र में जातीय अपराधी पृष्ठभूमि भी समाजशास्त्रीय जिज्ञासा का विषय है। खदान से कोयला मण्डियों में कैसे पहुँचेगा यह अपराधी तय करते हैं (जागरण की रिपोर्ट)। उच्च ताकतवर अपराधी गिरोह काली कमाई पर फसल काटते हैं। हिन्दुस्तान दैनिक की एक रिपोर्ट का अर्थ यह है कि नीलामी प्रक्रिया को ही माफिया प्रभावित कर देते हैं। कोल ब्लाक आबंटन में गड़बड़ी करवा देना है, इसमें कोयला खदान में अपराधी स्थायी रूप से रंगदारी वसूलते हैं। ठेके लेने में मजदूरों को तथा यूनियनों को धमकाते हैं (दैनिक हिन्दुस्तान, 22 मार्च, 2012)। धनबाद में कोयला माफियाओं का राज है (भास्कर : 9 फरवरी, 2019)। रिपोर्ट में बताया गया है कि अवैध कोयला व्यापार श्रमिकों के लिए बड़ी मुसीबत है। कोयला मजदूरों से जबरबस्ती कोयला चोरी करवाना सामान्य दबाव की दशा है। कोयला खानों के बाहर एकत्र कोयला को उठाना और लोडिंग का खेल कोयला उद्योग की अवैधानिक गतिविधि का क्षेत्र है जिससे कोयला श्रमिकों का शोषण भी होता रहता है।

यह कहा जा सकता है कि कोयलांचल में अपराध की प्रवृत्तियॉ गिरोहबद्ध और संगठित अपराध के रूप में मौजूद है जो श्रमिकों के समक्ष शांत जीवन का अवसर को भी प्रभावित किये हुये है।

निष्कर्ष एवं सुझाव

प्रस्तुत शोध आलेख में असंगठित एवं औपचारिक स्तर के श्रमिकों का द्वैतीयक स्तर पर समाजशास्त्रीय सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया। उपलब्ध साहित्य से पता चलता है कि श्रमिक गतिशीलता अधिकांशतः असंगठित क्षेत्र में मौजूद है, जहॉ संविदा और ठेके पर काम कराने की स्थिति है। इस स्थिति में श्रमिकों के शोषण की संभावना बढ़ जाती है। उमरिया जिले के आकड़ों से भी अपराधिक विचलन एवं शोषण की दशायें कोयला खदानों के क्षेत्र में मौजूद है। सरकारी तौर पर श्रम सुधार एवं सुरक्षा नीतियॉ लागू होनी आवश्यक हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची

A.M.A.H.Siddiqui, Labour Laws and the Working Poor, ILO, 1990

Arun K.Naik, Informal Sector and informal workers in India, 2019, IARIW, Nepal.

E.R.Gec, History of Coal Mining in India, Geological Survey of India, Insa.nic.in.

J.Simha, Labour and Body Violence : Women Saga from Jharia Colliery, Indian Journal of Women & Social Change, Dec.2017.

Jeemol Linni, Size, Contribution and Claracterstics of informal employment in India, 2002, ILO.

Labour India : Mine-field of exploitation for Migrants Men, Women, Children. Inter-Press Service, Feb-10, 2020.

My India, Employment of Children in Mines : Exploitation unabated, Feb-9, 2015.

Nidhi Vyas & Kiran Soni, Globalization : Effect of mining in India and Rajasthan, Int.Journal of Engineering Research & Application, 7(9), 2017.

Ralph Homman, The Institutional Work of Exploitation Employers work to create and perpecuate Inequality. Journal of Management Studies.

Susmita Banerjee & Smt.Nabnita Dey, India's informal employment in the era of globalization Trends & Challenges, IOSR : Journal of Business and Management, Vol.20(4) 2018.

The Logic Indian, Dark Reality of Mining Industry one of the Industries Employing highest Number of Child Labours, 6th January, 2019.

umaria.nic.in

Wekipedia, Mining in India.

www.mines&communities.org-Labour and Women in Mining-15, 2004

ए.श्रीजा, भारत के असंगठित श्रम बाजार, योजना–अप्रैल, 2017, 17–19

योजना पत्रिका, अप्रैल–2017

यूनियनों ने किया दावा : कोल इण्डिया, सिंगरेनी खदानों में मुकम्मल हड़ताल, सितंबर,–24, 2019, बिजनेस विहार

बृजकिशोर भारद्वाज, समाचारों की दुनिया

करेन्ट अफेयर्स, भारत में श्रम बल का बढ़ता संविदाकरण अप्रैल, 2019, अंक–1

कोयला मजदूरों को वेज से फायदा कम नुकसान ज्यादा, अक्टूबर 13, 2017, नई दुनिया, कोरबा

कोयला उद्योग संकट में : श्रमिक गुलामी की जंजीर में

कोल इण्ड्रस्टीज जब कोयला मजदूरों का एक ही धर्म था, खदान के अन्दर ही होता गर्भाधान और जन्म, दैनिक जागरण, 8 सितंबर, 2019

विकीपीडिया : भारत में श्रम

प्रदीप अग्रवाल, श्रम नीतियॉ और श्रमिक कल्याण अर्न्तराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य, योजना–अप्रैल, 2017, 37–39

प्रवीण झा, भारत में श्रम परिदृश्य, योजना–अप्रैल, 2017

श्रीरंग झा, भारत में श्रम सुधार, योजना–अप्रैल, 2017

आसनसोल : श्रम पर संकट : राष्ट्रीयकरण तक कोयला उद्योग की रीढ़ हुआ करते थे कोल कटर 50 हजार से रह गये मात्र 6 हजार, प्रभात खबर, जून 29, 2018